स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MAKE IN INDIA
#GiveItUp
Feel the Joy of Giving
उज्ज्वला
PAHAL

8 प्रोजेक्ट एवं पाइपलाइन विभाग

ठेकेदार/वेंडर एचपीसीएल के पास आपूर्ति / कार्य ठेका / सेवाओं के लिए कैसे रजिस्टर हो सकता है ?

पंजीकरण के लिए आवेदन कहां उपलब्ध है ?

ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं से निविदा आमंत्रित करने की क्या प्रक्रिया है ?

जारी की गई निविदा तथा दिए गए ठेकों के बारे में सूचना कहां उपलब्ध है ?

प्रोजेक्ट स्थलों पर कदाचार से संबंधित शिकायतों / सुझावों के मामले में किससे सम्पर्क करें ?

पूरे देश में पेट्रोलियम पाइप लाइनों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

पाइपलाइन लोकेशन पर कोई अवांछित घटना घटने पर कैसे सूचना की जाए ?

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर निम्न रूप से दिया गया है :

1. ठेकेदारों आपूर्तिकर्ताओं के लिए वेंडर पंजीकरण :

कार्यों की श्रेणी जिनके लिए पंजीकरण किया जा सकता है :

प्रोजेक्ट एवं प्रयोक्ता समूह के आधार पर वेंडर पंजीकरण किया जाता है । पंजीकरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां उपलब्ध है :

1.1 कार्य ठेका : सिविल, मैकेनिक्ल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन, पाइपलाइन डालना, रेलवे सायडिंग, आटोमेशन कंसल्टेंसी, मिश्रित सेवाएं इत्यादि ।

1.2 आपूर्ति श्रेणियां : पाइप्स, स्टील प्लेट्स, पंप, वाल्वस, पाइप फीटिंग, फिल्टर्स, स्ट्रेनर्स, जेअग्निशामक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), अग्निशामक होजेस, फ्लो मीटर्स एवं गेजेज, पावर केबल, डीजी सेट्स, एचटी/एलटी पैनल्स, ट्रान्सफॉर्मर्स इत्यादि

2 पंजीकरण का तरीका :

2.1 अखिल भारतीय स्तर पर अग्रणी समाचार पत्रों में समाचार पत्र विज्ञापन देकर वेंडरों

को सूचीबद्ध / पंजीकरण किया जाता है । विज्ञापन समय-समय पर दिए जाते हैं। निगम की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए पूरे विवरण एवं शर्तों के साथ आवेदन फार्म ऑनलाइन उपलब्ध है। सेक्शन टेंडर एवं कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत http://www.hindustanpetroleum.com के माध्यम से लिंक प्राप्त किया जा सकता है ।

2.2 पात्र वेंडरो से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है जो इच्छित मात्रा, गुणवत्ता एवं विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर कम से कम मूल्य पर सामग्री आपूर्ति एवं सेवा प्रदान करने में तकनीकी रूप से सक्षम एवं वित्तीय रूप से मजबूत हो।

2.3 कार्पोरेशन के साथ सूचीबद्ध / पंजीकृत होने में रूचि रखने वाला कोई भी वेंडर संबंधित दस्तावेजों के साथ लागू श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

2.4 विभिन्न श्रेणियों के लिए प्राप्त आवेदनों को वेंडर प्रबंधन समिति (वी एवं सी) द्वारा छांटा जाता है तथा सूचीबद्ध होने के लिए अनुरोध किए गए वेंडरों को वेंडर प्रबंधक अधिकारी (वीएनओ) द्वारा सूचित किया जाता है ।

निम्नलिखित पैरामीटरों पर समिति द्वारा आवेदनों का परीक्षण किया जाता है ।

क. वेंडरों की क्षमता
ख. कुल व्यापार : पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट एवं हानि लाभ विवरण
ग. संस्थान का आकार एवं उपलब्ध सुविधाएं
घ. भौगोलिक लोकेशन
ङ. वित्तीय स्थिति
च. प्रतिष्ठा
छ. व्यापार अनुभव
ज. आत्मनिर्भरता

2.5 वेंडर सूची को अद्यतन करना :

2.5.1 संबंधित खरीद विभाग के वेंडर प्रबंधन अधिकारी (वीएओ) द्वारा वेंडर सूची रखी जाती है जिसको समय समय पर वेंडर के निष्पादन सहित समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है।

2.5.2. वेंडर प्रबंधन अधिकारी वेंडर के प्रोफाइल की भी समीक्षा एवं अद्यतन करता है। जैसे आवश्यकतानुसार वीएमसी से स्वीकृति लेने के उपरान्त पते / कार्य लोकेशन में परिवर्तन, क्षमताइत्यादि।

3 निविदा आमंत्रित करना :

3.1 आवश्यकता एवं निविदा के मूल्य के आधार पर दो प्रकार की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जैसे सीमित अथवा सार्वजनिक निविदा ।

3.2 सीमित निविदाओं को उन कार्य श्रेणियों के लिए आमंत्रित किया जाता है जहां पर्याप्त पंजीकृत आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार उपलब्ध हैं । व्यापक दर एवं शीघ्र आपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए सीमित निविदा आवेदन आमंत्रित करते समय आपूर्ति स्त्रोतों की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है ।

3.3 सार्वजनिक निविदाएं नोटिस देकर आमंत्रित की जाती हैं जिन्हें उच्च मूल्यों के कार्यो के लिए प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है तथा उन मामलों में भी किसी विशेष कार्य के लिए पंजीकृत निविदा उपलब्ध न हो।

3.4 जारी निविदा आवेदनों का विवरण निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाता है : http://www.hindustanpetroleum.com

3.5 **एमएसई पंजीकृत इकाइयां** :

3.5.1 एमएसई पंजीकृत इकाइयों के मामलें में निम्नलिखित मद लागू होते हैः

क. निविदा शुल्क, अमानत जमा राशि (ईएमडी)/सुरक्षा जमा राशि से छूट प्राप्त।

ख. यदि प्रतिभागिता एमएसई एल 1 + 15% के भीतर मूल्य बोली लगाए तो कुल निविदा मूल्य के 20% की आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।

3.5.2 निम्नलिखित आधार को पूरा करने पर उपर्युक्त लागू होंगे:

क. यूनिट को भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना डीओ.22(1)/2011-एमए, दिनांक 25/04/2016 के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए।

ख. एमएसई के लिए उद्योग आधार पंजीकरण स्वीकार्य है।

3.6 **निविदा खोलना** :

3.6.1 सभी खरीद विभागों में निविदाओं को जमा करने के लिए निविदा बॉक्स उपलब्ध है। जिसमें निगम कार्यालय, विपणन प्रधान कार्यालय, अंचल/क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रमुख लोकेशन शामिल है । निर्धारित दिन एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

3.6.2 निविदा खोलना : सभी निविदाएं चाहे वह सार्वजनिक अथवा सीमित हो, इच्छुक निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिधिनियों की उपस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जाएगी ।

3.6.3 ई-अधिप्राप्ति के मामले में : बिना मूल्य के निविदा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित तरीके से सिस्टम में खोला जाएगा ।

4. ठेका देना :

ठेका तकनीकी एवं वित्तीय रूप से न्यूनतम स्वीकार्य निविदाकर्ता को खरीद आदेश देकर दिया जाता है । ठेके को देने के लिए स्वीकृति ठेके की वित्तीय सीमा के अनुसार खरीद नियमावली में उल्लिखित यथेष्ठ कमेटी से प्राप्त की जा सकती है। सभी दिए गए ठेके एचपीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे http://www.hindustanpetroleum.com पर लिंक किया जा सकता है ।

5. शिकायतों का निवारण :

हमारी निम्न वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायते दर्ज की जा सकती है । http://www.hindustanpetroleum.com

6. शिकायतों के मामलों में :

ठेकों इत्यादि के कार्यान्वयन के संबंध में अनुचित उपायों के विरूद्ध शिकायतों को मुंबई स्थित पी एवं पी मुख्यालय में नीचे दिए गए पते पर दर्ज किया जा सकता है।

उप महाप्रबंधक,
इंजीनियरिंग एवं प्रोजेक्ट विभाग,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.,
2री मंजिल, ग्रेशम एशुरेन्स बिल्डिंग,
सर पी.एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई : 400 001.
फोन : 022 - 22608508,
ई-मेल : corphqo@hpcl.in

उप महाप्रबंधक
पाइपलाइन प्रोजेक्ट
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.,
1 ली मंजिल, हिन्दुस्तान भवन,
8, एस.वी.रोड, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई : 400 001.
फोन : 022 - 22654110
ई-मेल : corphqo@hpcl.in

7. पूरे देश में पेट्रोलियम पाइप लाइनों की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए किए गए निवारक उपाय :

- प्रत्येक स्टेशन / सेक्शनलायजिंग वाल्व स्टेशन / कैथोडिक सुरक्षा (सीपी) स्टेशनों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की गई है ।
- पूरे देश में पाइपलाइनों की प्रभावी देखभाल एवं नियंत्रण के लिए सुपरवायजरी नियंत्रण एवं डाटा एक्विजिशन सिस्टम (एससीएडीए) को स्थापित किया गया है । एससीएडीए के लिए भाग के रूप में लीक डिटेक्स सिस्टम (एलडीएस) को पाइप लाइन में रिसाव स्थल का पता लगाने के लिए लगाया गया है ।
- डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट (डीजीआर) द्वारा संचालित सुरक्षा एजेन्सी को सुरक्षा / पाइप लाइन पेट्रोजेंडर के लिए लगाया गया है जहां डीजीआर ने अपनी सुरक्षा नहीं लगाई है वहां पीएसएआरए पंजीकृत सुरक्षा एजेन्सी को लगाया गया है।
- पाइपलाइन के राइट ऑफ युजर (आरओयू) की लाइन पेट्रोजेंडर सुरक्षा रक्षकों द्वारा दिन रात की जाती है । लाइन वाकरों को प्रभावी बनाने के लिए जीपीएस आधारित सुरक्षा कर्मी ट्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है । किसी अचानक दुर्घटना से बचने के लिए अचानक लाइन पेट्रोलिंग किया जाता है । इसके लिए पर्याप्त संख्या में लाइन वाकरों को लगाया गया है तथा आरओयू की अचानक जांच करने के लिए सुरक्षा सुपरवायजरों को भी लगाया गया है । निगम के अधिकारियों द्वारा भी तिमाही में एक बार लाइन का निरीक्षण किया जाता है।
- लाइन वाकरों की कार्य क्षमता की जांच के लिए अचानक रात्रि निरीक्षण तथा कृत्रिम दुर्घटना, छद्म परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है तथा आवश्यक होने पर उचित कारवाई की जाती है

- सभी स्टेशन / सेक्शनलायजिंग वाल्व स्टेशन / कैथोडिक सुरक्षा (सीपी) स्टेशनों पर सीसी टीवी लगाया गया है तथा नियंत्रण पक्ष अधिकारियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है ।
- पाइपलाइन की बेहतर सुरक्षा एवं सतर्कता के लिए रात में दिखने वाले दूरबीन दिए गए है ।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला / राज्य स्तर पर समय-समय पर पुलिस के साथ बैठके की जाती है ।
- गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के साथ ऑनशोर सुरक्षा समन्वय पर उद्योग समन्वय बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है।
- नियमित बैठकों तथा जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों के साथ भी चर्चा की जाती है ।
- सूचना दाताओं को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार योजना लागू की गई है ।
- पाइपलाइन एकात्मता की व्यवस्था के लिए पाइलाइन एकात्मता प्रबंध कार्यक्रम एवं उपाय विकसित किए गए है ।
- स्टेशनों / सेक्शनलायजिंग वाल्व स्टेशन / कैथोडिक सुरक्षा (सीपी) स्टेशनों के बीच प्रभावी एवं शीघ्र संपर्क हेतु ओएफसी आधारित समर्पित टेली संचार प्रणाली लगाई गई है ।
- आकस्मिक तैयारी के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके कृत्रिम मॉक ड्रिल किया जाता है।

8. पाइपलाइन लोकेशन पर किसी अप्रिय घटना की सूचना प्रदान करना :

किसी अप्रिय घटना की सूचना की रिपोर्ट करने के लिए पाइप लाइन के मार्ग में संपर्क विवरणों के साथ रूट मार्कर्स की व्यवस्था की गई है ।

'टोल फ्री' नंबर 1800-180-1276 दिया गया है । जनता इस टोल फ्री नंबर का उपयोग सूचना देने के लिए कर सकती है ।